Volume No: - 38
Year: - 03/ 2026

MONTHLY REPORT
MARCH 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

(GOVT. REGD. 483/2017, INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVT. OF INDIA, I.T.A. - 1882)
REGD. NITI AAYOG (GOVT. OF INDIA), UNITED NATION (UNDESA) | AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION
A NON. GOVT. ORGANIZATION WORKING FOR THE PROTECTION & PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

Web: - www.nhrccb.org Email: - nhrccb@gmail.com Helpline: - 9102224365

TABLE OF CONTENTS

Sl.No.	Contents	Page No
01.	National President's Message	3
02.	About NHRCCB	4
03.	Aims and Objective of NHRCCB	5-7
04.	Our Team Strength	8
05.	Monthly Report Of the Month March, 2026.	9- 19

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश......

मानवाधिकार मनुष्य के मूलभूत अधिकारों का समावेश है। मानव अधिकार की रक्षा हेतु सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्तायों की भूमिका सराहनीय होती है।भारत में मानवाधिकार के रक्षा एवं प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , राज्य मानवाधिकार आयोग एवं सैकड़ों की संख्या में ग़ैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं। विभिन्न सामूहिक प्रयासों के कारण पिछले एक दशक में मानवाधिकार के प्रति जन जागरूकता एवं संवेदनशीलता आम जन मानस में बढ़ी है।

इसी कड़ी में वर्ष 2017 से समाज के निचले पायदान पर खड़े आम जनमानस के मानवाधिकार की रक्षा एवं जागरूकता हेतु एनएचआरसीसीबी बतौर ग़ैर सरकारी संगठन कृत - संकल्पित है । भारत के हज़ारो स्वयसेवकों/सदस्यों एवं पदाधिकारियो के बदौलत एनएचआरसीसीबी एक मजबूत पहचान बना चुकी है। समाज के हज़ारो -लाखों वंचितों एवं पीड़ितों की आवाज बन कर उनके अधिकारो की रक्षा हेतु समर्पित है ।

सम्पूर्ण भारत वर्ष में एनएचआरसीसीबी के सदस्यों द्वारा किये जा रहे गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट "**मार्च** माह" की सॉफ्ट कॉपी प्रकाशित की जा रही है ।

इस माह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस , "महिला अधिकार एवं कानूनी सुरक्षा" विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार एवं देश भर में अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन हुई है।

यह रिपोर्ट संस्था के हज़ारो साथियों को नई ऊर्जा एवं जुनून देने की कार्य करेगी एवं संस्था के प्रति उनके समर्पण की भावना को मजबूत करेगी ।

एनएचआरसीसीबी के समस्त साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ ।

(डॉ. रणधीर कुमार)

ABOUT NHRCCB

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

National Human Rights and Crime Control Bureau (NHRCCB) is a Non-Profit Organization or Voluntary Organization Incorporated under the Legislation Government of India. Registered in 2017 under Indian Trust Act- 1882 Government of India with Reg. No 483/2017. Registered with NITI AAYOG, Government of India, United Nation Department of Economics and Social Affairs, United Nation, 12A & 80G Under Department of Income Tax, Ministry of Finance Government of India and CSR1 Under Ministry Of Corporate Affairs, Government of India.

PROTECTING HUMAN RIGHTS UNDER

- Human Rights Protection Act 1993
- Universal Deceleration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948.
- Protecting Under Human Rights both at individual and Communal Level.
- Protecting Women Rights for curbing the gender inequality across the nation.
- Protection Child Rights and Promoting education for all
- Keeping a check on criminal motivation across the country.
- Helping all the administrative bodies in order to propagate communal harmony.

NHRCCB REGISTARTION AND AFFILATION

- Registered under the Indian Trust Act 1882 Government of India in 2017.
- Regd. Under NITI Aayog, Government of India (NGO Darpan)
- Regd. Under Ministry of Women and Child Development, Government of India,
- Regd. Under United Nations (UNDESA).
- Regd. under 12A&80G by Income Tax Department, Ministry of Finance Government of India.
- AN ISO 9001:2015 Certified Organisation.

- **PLEDGE CERTIFICATE FROM**

- National Human Rights Commission, Government of India.
- Central Vigilance Commission, Government of India.
- National Commission for Women, Government of India.
- National Commission for Protection of Child Rights, Government of India

- **AIMS & OBJECTIVES OF NHRCCB**

(NHRCCB WAS ESTABLISHED ON 07 NOVEMBER 2017 WITH THE FOLLOWING AIMS& OBJECTIVES)

1. According to the Human Rights Protection Act 1993, the Government of India, to work for the promotion and protection of human rights.
2. Organizing various camps, seminars, workshops, conferences etc. for awareness among Citizens about human rights.
3. To cooperate and encourage non-governmental organizations and educational institutions working in the field of human rights.
4. To build and operate educational institutions in the field of human rights.
5. To work together and in cooperation with the government for the protection of Human Rights and crime control.
6. National Human Rights Commission / State Human Rights Commission / National Commission for Women / State Commission for Women / National Commission for Protection of Child Rights / State Commission for Protection of Child Rights / National Commission for Protection of Child Rights / National Commission for Scheduled Castes /State Scheduled Castes on receipt of complaints on issues like human rights abuses To Provide justice to the victim through the Tribal Commission / Central Government / State Government / District Administration / Police Administration and other constitutional Institutions.
7. To file a petition in the court in human rights violations cases and get justice to the victim Through the court.

8. To work together with the Central Government / State Government and local government - administration for the protection and promotion of human rights.

9. According to the United Nations Human Rights Act 1948, to make citizens aware of human rights and work to protect the rights of citizens.

10. To promote and propagate the fundamental rights (right to equality, right to freedom, Right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education, right to Property and constitutional remedies) given by the Indian Constitution and every Indian citizen To work for the attainment of fundamental rights.

11. To organize workshops, seminars, awareness programs on crime control.

12. Governance for Corruption Free India – Working together with the administration to Control corruption.

13. To protect the Child Rights Protection Act and work for prevention of child marriage, child violence, child labour, child trafficking.

14. To work for publicity and awareness of Right to Information (RTI) Act.

15. Getting information through RTI and taking action against the corrupt.

16. Fighting the rights of doctors, lawyers, journalists etc. in a constitutional way by creating Various cells / units.

17. To run awareness campaign related to cyber-crime prevention and to cooperate with the administration for prevention.

18. Governance - To help the administration to curb the misuse of government posts and Government machinery.

19. To work for the rights of the prisoners (prisoners) and to provide them legal aid and Guidance.

20. To cooperate with the police administration regarding crime control and mutual harmony, goodwill and peace.

21. Public Grievance Redressal Centre, Crime and Corruption Investigation, Crime Investigation and Research Service, Security and Intelligence Service, Media Information, Education and Law, Civil Defence, Journalism and Journalist Defence, Right to

Information,Human Rights, Child Rights, Detective Services Setting up and providing security.

22. To promote various schemes run by the government and to benefit the citizens.
23. To cooperate and work together in various programs by the units of the district / state /Centre.
24. To settle the cases by organizing Lok Adalats after permission from time to time.
25. To make women aware of women's rights and work for their participation in the system.
26. To make women aware and work to curb women violence.
27. Governance for women's rights and women's safety - Working together with the Administration.
28. To honor the outstanding talents of the society from time to time and provide them Platforms.
29. Helping the administration by running an awareness campaign for serious issues like Human trafficking.
30. To run an awareness campaign to curb discrimination on the basis of caste, class, Community, race, sex, color.
31. To organize awareness camps on evil practices like dowry bonded labor etc. and work to stop such incidents through the concerned government institutions and courts.
32. Organizing camps like medical camps, blood donation camps, eye camps etc.
33. After receiving the complaint, after the permission of the government institutions, to take the problems of the citizens to the administration and make efforts to solve the problem.
34. Establishment and operation of Old Age Home, Health Centre, Nari Shakti Kendra, Child Improvement Centre, Hospital.
35. Etc

OUR STRENGTH

- 70+ NATIONAL TEAM OFFICER
- 500+ STATE TEAM OFFICER
- 400+ DIVISION TEAM OFFICER
- 3500+ DIST TEAM OFFICER
- 4500+ BLOCK TEAM OFFICER
- 10000+ ACTIVE MEMBER
- 15000+ VOLUNTEER

Monthly Activity Report for March 2026

Date – 02.03.2026

मानव अधिकार के नाम से दिन-ब-दिन बन रहे नए संगठनों की जांच आवश्यक : डॉ जे पी सिंह

जांजगीर चाम्पा (मूलमंत्र)। मानव अधिकार इस बारे सबको ज्ञात है और अपने अधिकारों की जानकारी सबको पता ही होना चाहिए और आज रोजाना कोई न कोई एक नया संगठन मानव अधिकार के नाम से दिखाई पड़ रहा है और यह भी नकारा नहीं जा सकता कि कई संगठन वसूली करते नजर आ रहे हैं और मानव अधिकार के नियम से बाहर होकर दबंगई रौब दिखाना और बहुत सारी अनावश्यक जानकारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है की सदस्यता के लिए और आईडी कार्ड के लिए लोग बगैर पूरी जानकारी के जुड़ने जा रहे हैं और उन्हें यह निष्कर्ष निकलना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सही कौन गलत। इसी सबको देखते हुए हाल ही में एक कदम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेश प्रशासन द्वारा कदम उठाया जा रहा है कि जितने मिलते जुलते नाम है और मानव अधिकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा और नियम से बाहर कार्य कर रहे हैं वसूली कर रहे हैं तत्काल कार्रवाई की जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। इस बारे यही कहना चाहूंगा की बहुत बेहतर पहल है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था हम भी एक संगठन से जुड़े हैं और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हमें जवाब देना पड़ा दूसरे संगठनों से तुलना की जाती थी जिसके बारे में बताना पड़ा बस मैं यही कहना चाहूंगा की कार्यवाही जरूरी है और जितने मानव अधिकार संगठन है उन पर जांच हो जो अनावश्यक कार्य कर रहे हैं नियम से बाहर कार्य कर रहे हैं और अपने आप को आयोग बताते कार्य कर रहे हैं वसूली कर रहे हैं तत्काल कार्रवाई करते प्रक्रिया की जानी चाहिए जो अति आवश्यक है ।इन सबके कारण जो देश में बेहतर कार्य कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं मानव अधिकार उन्हें भी इन सब बातों का सामना करना पड़ता है जो कि यह कार्रवाई के बाद बेहतर साबित होगी । डॉ. जतिंदरपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ने बताया कि हमारे संगठन एनएचआरसीसीबी राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो आज परिचय का मोहताज नहीं आज 8 साल से ज्यादा देश में कार्य करते हो गए और ब्यूरो के संस्थापक डॉ रणधीर कुमार जी के मार्गदर्शन में आज पूरे ईमानदारी से पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में बेहतर कार्य कर रहा है और मानव अधिकार की रक्षा के लिए प्रयासरत है ह किसी भी प्रकार की वसूली या संगठन के नाम से सरकारी मदद या कोई अन्य अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करता और ना ही इस प्रकार के कार्य करने वाले सदस्यों की इस संगठन में जगह है । अपनी गतिविधियों में हमेशा शासन प्रशासन के सहयोग से उनके साथ में कार्य करते आया है और कार्यक्रम में भी शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोगात्मक रवैया दिखाया है। बस आज जो प्रतिदिन नई-नई संगठन आ रही है और भ्रमित करने वाले कार्य से बेहतर कार्य करने वाले परेशान हो रहे हैं और नाम में असर पड़ता है तो हमारी स्वयं गुजारिश है शासन प्रशासन से कि समस्त संगठन के पूरी जानकारी लेते और पूरी जांच प्रक्रिया करते हैं कठोर कदम उठाए और जहां कोई संगठन अनैतिक कार्य वसूली कार्य या किसी संगठन का सदस्य ऐसा कार्य करते दिखता है तात्कालिक कार्यवाही करें।

मानव अधिकार के नाम से दिन प्रतिदिन एक नई संगठन दिखाई पड़ती है इस पर जांच आवश्यक है- डॉ जे पी सिंह

जांजगीर चाम्पा। मानव अधिकार इस बारे सबको ज्ञात है और अपने अधिकारों की जानकारी सबको पता ही होना चाहिए और आज रोजाना कोई न कोई एक नया संगठन मानव अधिकार के नाम से दिखाई पड़ रहा है और यह भी नकारा नहीं जा सकता कि कई संगठन वसूली करते नजर आ रहे हैं और मानव अधिकार के नियम से बाहर होकर दबंगई रौब दिखाना और बहुत सारी अनावश्यक जानकारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है की सदस्यता के लिए और आईडी कार्ड के लिए लोग बगैर पूरी जानकारी के जुड़ने जा रहे हैं और उन्हें यह निष्कर्ष निकलना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सही कौन गलत। इसी सबको देखते हुए हाल ही में एक कदम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेश प्रशासन द्वारा कदम उठाया जा रहा है कि जितने मिलते जुलते नाम है और मानव अधिकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा और नियम से बाहर कार्य कर रहे हैं वसूली कर रहे हैं तत्काल कार्रवाई की जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। इस बारे यही कहना चाहूंगा की बहुत बेहतर पहल है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था हम भी एक संगठन से जुड़े हैं और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हमें जवाब देना पड़ा दूसरे संगठनों से तुलना की जाती थी जिसके बारे में बताना पड़ा बस मैं यही कहना चाहूंगा की कार्यवाही जरूरी है और जितने मानव अधिकार संगठन है उन पर जांच हो जो अनावश्यक कार्य कर रहे हैं नियम से बाहर कार्य कर रहे हैं और अपने आप को आयोग बताते कार्य कर रहे हैं वसूली कर रहे हैं तत्काल कार्रवाई करते प्रक्रिया की जानी चाहिए जो अति आवश्यक है। इन सबके कारण जो देश में बेहतर कार्य कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं मानव अधिकार उन्हें भी इन सब बातों का सामना करना पड़ता है जो कि यह कार्रवाई के बाद बेहतर साबित होगी । डॉ. जतिंदरपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ने बताया कि हमारे संगठन एनएच आरसीसीबी राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो आज परिचय का मोहताज नहीं आज 8 साल से ज्यादा देश में कार्य करते हो गए और ब्यूरो के संस्थापक डॉ रणधीर कुमार जी के मार्गदर्शन में आज पूरे ईमानदारी से पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में बेहतर कार्य कर रहा है और मानव अधिकार की रक्षा के लिए प्रयासरत है ह किसी भी प्रकार की वसूली या संगठन के नाम से सरकारी मदद या कोई अन्य अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करता और ना ही इस प्रकार के कार्य करने वाले सदस्यों की इस संगठन में जगह है । अपनी गतिविधियों में हमेशा शासन प्रशासन के सहयोग से उनके साथ में कार्य करते आया है और कार्यक्रम में भी शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोगात्मक रवैया दिखाया है।

Date – 02.03.2026

Call for Probe Into Fake Human Rights Bodies

Daily Prime Day

⏭ Janjgir-Champa

Dr. J.P. Singh has called for a thorough investigation into the growing number of organizations operating in the name of human rights, stating that many such groups are allegedly misusing the title for unlawful activities.

He said that while awareness about human rights and individual entitlements is essential, it has become increasingly common to see new organizations emerging daily under the banner of "human rights." According to him, some of these groups are reportedly involved in extortion, intimidation, and activities beyond the legal framework of human rights advocacy. He also pointed out that on social media platforms, individuals are joining such organizations and obtaining membership IDs without proper verification, making it difficult to distinguish between genuine and fraudulent bodies.

Referring to recent directions issued by the administration following orders of the National Human Rights Commission, he welcomed the move to scrutinize organizations with similar names that are allegedly functioning outside legal norms. He emphasized that strict action should be taken against those found indulging in unethical practices or falsely presenting themselves as official commissions.

Dr. Singh stated that genuine organizations working sincerely in the field of human rights often face reputational damage due to the activities of such groups. He stressed that a comprehensive verification process is necessary to identify and act against organizations involved in illegal collections or misconduct.

Dr. Jatinder Pal Singh, State President (Chhattisgarh) and National Joint Secretary of the National Human Rights and Crime Control Bureau (NHRCCB), said their organization has been working across India for over eight years under the guidance of its founder, Dr. Randhir Kumar. He asserted that NHRCCB does not engage in any form of extortion, misuse of government assistance, or unethical practices, and maintains transparency in its operations in coordination with the administration.

Date – 08.03.2026

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आज दिनांक 08.03.2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, NHRCCB (बस्तर संभाग) द्वारा स्वर्गीय बलीराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डिमरापाल (जगदलपुर) में एक गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अस्पताल की महिला शक्ति को सम्मानित किया गया जो दिन-रात निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में जुटी रहती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिला सदस्यों का सम्मान किया गया, जिनमें महिला डॉक्टर, नर्स, वार्ड आया और सुरक्षाकर्मी शामिल रहीं। यह कार्यक्रम अस्पताल के इंचार्ज आदरणीय महेश सर की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सभी कर्मठ महिला कर्मियों को प्रशस्ति पत्र (Certificates) प्रदान किए गए। कार्यक्रम में श्री जगमोहन सोनी (संभागीय अध्यक्ष), श्री प्रेमदास मानिकपुरी जी (संभागीय उपाध्यक्ष), श्री योगेंद्र कश्यप जी (संभागीय सचिव) एवं गणमान्य उपस्थित रहे।

Date – 08.03.2026

बस्तर से जिला कांकेर अध्यक्ष श्री प्रद्युमन जी द्वारा महिला दिवस पर

1. श्रीमती बिन्दुलता देवांगन जी (ए एस आई पुलिस विभाग)
2. सुश्री अगसिया कोडोपी जी (महिला आरक्षक ,पुलिस विभाग)
3. सुश्री मनीषा किन्नर जी (समाज सेविका / अनाथ बच्चों को सहारा देने हेतु)
4. डॉ. प्रमिला टोप्पो जी (सीनियर मेडिकल ऑफिसर ,स्वास्थ्य विभाग)
5. श्रीमती मीरा दास जी (नर्सिंग सिस्टर ,स्वास्थ्य विभाग)
6. सिस्टर मारिया जी (प्राचार्य ,शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य)
7. श्रीमती पार्वती बिस्वास जी (सहायक ग्रेड 4 बी ई ओ कार्यालय एवं जन सेविका)
8. डॉ. सोनाली वैष्णव जी (स्त्रीरोग विशेषज्ञ , स्वास्थ्य विभाग)
9. श्रीमती अनिमा शील जी (रिटायर्ड बैंककर्मी एवं समाज सेविका)
10. श्रीमती शोभा बाला जी (आर एच ओ स्वास्थ्य विभाग)
11. श्रीमती नयन तारा बिस्वास जी (भृत्य नगर पंचायत एवं जन सेविका)
12. श्रीमती माधवी सरकार जी (आर एच ओ स्वास्थ्य विभाग)
13. श्रीमती आरती सेन जी (व्याख्याता एवं समाज सेविका)
14. सुश्री कांति कुंजाम जी (सहायक ग्रेड -3 तहसील कार्यालय)
15. श्रीमती नमिता मंडल जी (अधिवक्ता)
16. श्रीमती कामनी ठाकुर जी (सहायक ग्रेड -3 अनुविभागीय कार्यालय)

Date – 08.03.2026

Date – 08.03.2026

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो छत्तीसगढ़ टीम ने ग्राम गारे मे गरीब महिलाओं को साड़ी देकर तमनार टीम ने किया सम्मान।

Date – 09.03.2026

एनएचआरसीसीबी प्रतिनिधिमंडल ने साकची थाना प्रभारी से की शिष्टाचार भेंट

अनुपम संदेश, पूर्वी सिंहभूम/ जमशेदपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की पूर्वी सिंहभूम जिला टीम ने जनहित और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से साकची थाना प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण यादव से औपचारिक मुलाकात की। यह बैठक जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। मुलाकात की शुरुआत सम्मान समारोह से हुई, जहां प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण यादव को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सह सचिव विनय चंद्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में जिला उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, अजित कुमार शर्मा तथा राजदीप सेन मुख्य रूप से शामिल रहे। बैठक के दौरान शहर की विधि व्यवस्था और यातायात से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने आम नागरिकों को हो रही परेशानियों का विस्तृत खाका थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया। थाना प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण यादव ने सभी मुद्दों पर गंभीरता दिखाते हुए आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई करेगा। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में ब्यूरो के प्रयासों की सराहना की तथा यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए संबंधित यातायात थाना प्रभारी तक सुझावों को मजबूती से पहुंचाने की बात कही। जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार शर्मा ने प्रशासन को शहर की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराते हुए स्थायी समाधान के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच मजबूत सेतु बनाकर अपराधमुक्त एवं व्यवस्थित समाज की स्थापना करना है। अंत में उन्होंने थाना प्रभारी का आभार व्यक्त किया।

गोपी कृष्ण गोआश्रम में होली मिलन एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन

Date – 11.03.2026

एनएचआरसीसीबी दिल्ली टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के स्लम क्षेत्र में महिलाओं और उनके बच्चों के लिए कपड़े वितरण किया गया। इस आयोजन में श्री अभिरंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली, एनएचआरसीसीबी अधिकारी श्री भास्कर और मनमीत कौर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Date – 12.03.2026

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रमशील महिलाओं को समर्पित अनूठा सम्मान

रायगढ़@किरणदूत

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहाँ प्रायः समाज में शिक्षित, प्रतिष्ठित एवं नामचीन महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहीं इस बार बिलासपुर संभाग की सलाहकार मती पूनम द्विवेदी ने एक अलग और प्रेरणादायी पहल प्रस्तुत की। उन्होंने महिला दिवस को वास्तविक अर्थों में उन महिलाओं को समर्पित किया, जो अपने कठोर परिश्रम और त्याग से समाज की नींव को मजबूत करती हैं।

रायगढ़ शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित संबलपुरी आनंदम में जाकर उन्होंने देहाड़ी मजदूरी करने वाली श्रमशील महिलाओं का सम्मान किया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव था, जिनके श्रम से समाज का ढांचा खड़ा होता है।

इस अवसर पर मती पूनम द्विवेदी ने कहा कि इन महिलाओं के त्याग, तपस्या और अथक परिश्रम के कारण ही हम सब एक सुखद और सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। चाहे गृह निर्माण का कार्य हो या ईंट से ईंट जोड़कर किसी का आशियाना तैयार करना–इन मेहनतकश महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार वे अपने नवजात शिशु को कमर या पीठ पर बाँधकर भी कठोर परिश्रम करती हैं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर महिला दिवस के मंच पर नामचीन महिलाओं की चर्चा अधिक होती है, जबकि वास्तविक रूप से समाज की नींव को मजबूत करने वाली इन श्रमजीवी महिलाओं की छवि कहीं न कहीं ओझल हो जाती है।

महिला दिवस जैसे अवसर पर वास्तव में इन्हीं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जो अपने श्रम और संघर्ष से समाज को सशक्त बनाती हैं।

ऐसी कर्मठ और संघर्षशील महिलाओं को समर्पित यह पहल निस्संदेह एक प्रेरणादायी उदाहरण है। मती पूनम द्विवेदी द्वारा किया गया यह सम्मान कार्य समाज के लिए एक संदेश है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में जिन हाथों का सबसे बड़ा योगदान है, उनका सम्मान ही सच्चे अर्थों में महिला शक्ति का सम्मान है।

अंत में उन्होंने सभी श्रमशील महिलाओं के प्रति अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि इन परिश्रमी माताओं और बहनों को मेरा शत-शत नमन और प्रणाम है।

Date – 13.03.2026

नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने जिला करनाल के महिला थाना, करनाल मे तैनात हरियाणा पुलिस की कर्मठ महिला पुलिस कर्मियों को एनएचआरसीसीबी महिला सामाजिक प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी एक चुनौती पूर्ण कार्य बताया और सभी को अपनी ड्यूटी के अलावा पारिवारिक जिम्मेवारियों को संभालते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन कठिन परिस्थियों में करने पर बधाई दी। सभी पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी पूरी रुचि व ईमानदारी से करने का आग्रह भी किया। सभी महिला पुलिस कर्मियों ने एनएचआरसीसीबी की तरफ से प्राप्त एनएचआरसीसीबी महिला सामाजिक प्रेरणा सम्मान पाकर खुशी प्रकट की और एनएचआरसीसीबी का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान निरीक्षक कविता गोयत, उप निरीक्षक सुनीता देवी, उप निरीक्षक नेहा, उप निरीक्षक भावना, सहायक उप निरीक्षक बीमलेश उपस्थित रहीं।

Date – 15.03.2026

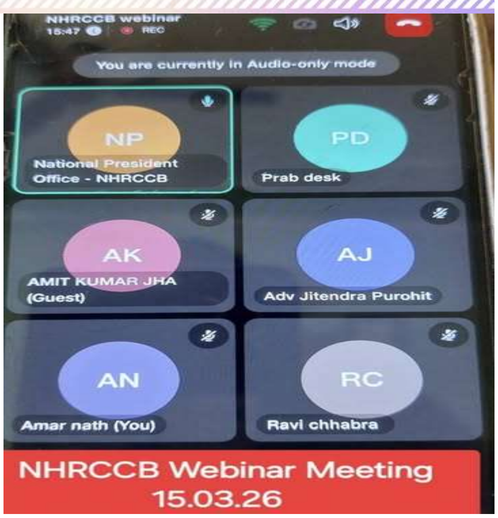

प्रेस विज्ञप्ति - NHRCCB द्वारा "महिला अधिकार एवं कानूनी सुरक्षा" विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का सफल आयोजन मानवाधिकार चेतना, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुआ सारगर्भित संवाद राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) द्वारा दिनांक 15 मार्च 2026 को "Women Rights and Legal Protection (महिला अधिकार एवं कानूनी सुरक्षा)" विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, उनकी कानूनी सुरक्षा, संवैधानिक संरक्षण तथा समाज में उनके सम्मान और समानता के महत्व पर व्यापक संवाद स्थापित करना था। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पदाधिकारियों, सदस्यों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों एवं जागरूक नागरिकों ने इस वेबिनार में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का वास्तविक मानदंड वहाँ की महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की सुरक्षा से निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और संविधान दोनों ही महिलाओं को सम्मान और समानता का अधिकार प्रदान करते हैं, किंतु इन मूल्यों को व्यवहारिक रूप से समाज में स्थापित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉ. रणधीर कुमार ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों

की रक्षा केवल कानूनों के माध्यम से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता और नैतिक प्रतिबद्धता भी आवश्यक है। वेबिनार में मुख्य वक्ता (Chief Speaker) के रूप में श्री जितेंद्र पुरोहित, प्रदेश कानूनी सलाहकार, ने महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानूनों और उनके व्यावहारिक पक्षों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकारों, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध कानून, तथा अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कानूनों का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ताकि न्याय और सामाजिक संतुलन दोनों बनाए रखे जा सकें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि (Chief Guest) के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री जतिंदर पाल सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की मूल भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग—परिवार, प्रशासन, नागरिक संगठनों और युवाओं—को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जागरूकता कार्यक्रम और संवाद ही ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वेबिनार का संचालन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार, वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएँ, तथा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों पर गंभीर और विचारोत्तेजक चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लेते हुए विभिन्न जिज्ञासाएँ प्रस्तुत कीं, जिनका विशेषज्ञों द्वारा संतुलित और व्यावहारिक उत्तर दिया गया। चर्चा के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि महिला अधिकार केवल विधिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानव गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। समाज में समानता, सम्मान और न्याय की स्थापना तभी संभव है जब महिलाओं को उनके अधिकारों के

प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें एक सुरक्षित एवं समर्थ वातावरण प्रदान किया जाए। कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि मानवाधिकारों की रक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए केवल कानूनों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकार्यता भी उतनी ही आवश्यक है। NHRCCB द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों, संवादों और राष्ट्रीय वेबिनारों के माध्यम से समाज में मानवाधिकार चेतना को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

Date – 15.03.2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने किया नवीन प्राथमिक शाला तुस्मा का आकस्मिक निरीक्षण

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो श्री रामकुमार साहू संभाग उपाध्यक्ष ने आज नवीन प्राथमिक शाला तुस्मा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी शिक्षक समय पर विद्यालय में उपस्थित पाए गए तथा विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण संतोषजनक पाया गया। इस अवसर पर रामकुमार ने शिक्षकों को पठन-पाठन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने, एवं बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी लिया और साफ सफाई, पानी, बिजली पंखे एवं अन्य जाकारी लिया तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित रखने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिवार को अनुशासन एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया।

Date – 16.03.2026

NHRCCB द्वारा 'महिला अधिकार एवं कानूनी सुरक्षा' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का सफल आयोजन

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ([illegible]) द्वारा दिनांक 15 मार्च 2026 को –[illegible] (महिला अधिकार एवं कानूनी सुरक्षा)– विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, उनकी कानूनी सुरक्षा, संवैधानिक संरक्षण तथा समाज में उनके सम्मान और समानता के महत्व पर व्यापक संवाद स्थापित करना था। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पदाधिकारियों, सदस्यों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों एवं जागरूक नागरिकों ने इस वेबिनार में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का वास्तविक मानदंड वहाँ की महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की सुरक्षा से निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और संविधान दोनों ही महिलाओं को सम्मान और समानता का अधिकार प्रदान करते है, किंतु इन मूल्यों को व्यावहारिक रूप से समाज में स्थापित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉ. रणधीर कुमार ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनों के माध्यम से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता और नैतिक प्रतिबद्धता भी आवश्यक है। वेबिनार में मुख्य वक्ता ([illegible]) के रूप में श्री जितेंद्र पुरोहित, प्रदेश कानूनी सलाहकार, ने महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानूनों और उनके व्यावहारिक पक्षों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकारों, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध कानून, तथा

अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कानूनों का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ताकि न्याय और सामाजिक संतुलन दोनों बनाए रखे जा सकें।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ([illegible]) के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री जतिंदर पाल सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की मूल भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग–परिवार, प्रशासन, नागरिक संगठनों और युवाओं–को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जागरूकता कार्यक्रम और संवाद ही ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।वेबिनार का संचालन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार, वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएँ, तथा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों पर गंभीर और विचारोत्तेजक चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लेते हुए विभिन्न जिज्ञासाएँ प्रस्तुत कीं, जिनका विशेषज्ञों द्वारा संतुलित और व्यावहारिक उत्तर दिया गया। चर्चा के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि महिला अधिकार केवल विधिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानव गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मानवाधिकार चेतना, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुआ सारगर्भित संवाद

समाज में समानता, सम्मान और न्याय की स्थापना तभी संभव है जब महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें एक सुरक्षित एवं समर्थ वातावरण प्रदान किया जाए।

कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि मानवाधिकारों की रक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए केवल कानूनों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकार्यता भी उतनी ही आवश्यक है। [illegible] द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों, संवादों और राष्ट्रीय वेबिनारों के माध्यम से समाज में मानवाधिकार चेतना को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

राष्ट्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ([illegible])
?? 222 [illegible] ??

Date – 19.03.2026

पंजाब केसरी
THU,19 MARCH 2026
EDITION: AMRITSAR KESARI, PAGE NO. 1

मनप्रीत राजपूत नैशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पंजाब प्रधान नियुक्त

अमृतसर, 18 मार्च (छीना): नैशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मनप्रीत सिंह राजपूत को पंजाब का प्रधान नियुक्त किया गया है।

इस संबंध में नैशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रणधीर कुमार ने रस्मीय तौर पर ऐलान करते कहा कि मनप्रीत सिंह राजपूत एक मेहनती और दूरदर्शी सोच वाले युवा हैं, जिनमें समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। इसी को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पंजाब प्रधान मनप्रीत सिंह राजपूत को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार व अन्य सदस्य। (छीना)

इस दौरान मनप्रीत सिंह राजपूत ने कहा कि उन्हें पंजाब प्रधान नियुक्त कर जो सम्मान दिया गया है उसके लिए वे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार और महासचिव डॉ. जतिंदरपाल सिंह के आभारी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और दृढ़ता से निभाते हुए संगठन को पंजाब में और अधिक मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।